



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240415
CG-DL-E-18112022-240415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5167]
No. 5167]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

का.आ. 5395(अ)—गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम 1994 की धारा 32 के साथ पठित अधिनियम, 1994 की धारा 17 और पीसी और पीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 19ए(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर के लिए निम्नलिखित उपयुक्त प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी/सलाहकार समिति नियुक्त करती है:

क्रमांक	उपयुक्त प्राधिकारी/अपील प्राधिकारी/सलाहकार समिति	नियुक्ति
1	केंद्र शासित प्रदेश अपीलीय प्राधिकरण	प्रशासनिक सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर
2	उपयुक्त प्राधिकारी	i. निदेशक स्वास्थ्य सेवा जम्मू/कश्मीर ii. विधि विभाग के अधिकारी जम्मू/कश्मीर iii. महिला संगठन, जम्मू/कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतिष्ठित महिला

3	सलाहकार समिति	i. जीएमसी जम्मू / जीएमसी श्रीनगर से एचओडी स्त्री रोग और प्रसूति ii. जीएमसी जम्मू / जीएमसी श्रीनगर से एचओडी बाल रोग iii. जम्मू/कश्मीर विश्वविद्यालय के एचओडी आनुवंशिकीविद् iv. कानूनी विशेषज्ञ, जम्मू/कश्मीर v. उप निदेशक सूचना जम्मू/कश्मीर vi. तीन प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से कम से कम एक महिला संगठन जम्मू/कश्मीर से होगा
4	जिला उपयुक्त प्राधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
5	जिला सलाहकार समिति	i. जिला अस्पताल के वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ ii. जिला अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ iii. चिकित्सा आनुवंशिकीविद् iv. जिला न्यालय के वरिष्ठ अधिवक्ता v. जिला सूचना अधिकारी vi. तीन प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से कम से कम एक महिला संगठनों के प्रतिनिधियों में से होगा

[फा. सं. डब्लू.12017/06/2012-पीएनडीटी]

डॉ. पाटिबंडला अशोक बाबू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th November, 2022

S.O. 5395(E).—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of sex selection) Act of 1994 read with Section 17 of the Act, 1994 and Rule 19A(1)(a) of the PC & PNDT Rules, 1996, the Central Government hereby appoints following Appropriate Authority/Appellate Authority/Advisory Committee for Jammu & Kashmir:

Sr. No.	Appropriate Authority/Appellate Authority/ Advisory Committee	Appointment
1	UT Appellate Authority	Administrative Secretary Health and Medical Education Department, Jammu & Kashmir
2	Appropriate Authority	i. Director Health Service Jammu/Kashmir

		ii. Officer of law Department Jammu/Kashmir iii. An eminent woman representing women's organization, Jammu/Kashmir
3	Advisory Committee	i. HoD Gynaecology and Obstetrics from GMC Jammu / GMC Srinagar. ii. HoD Paediatrics from GMC Jammu/GMC Srinagar. iii. HoD Geneticists from University of Jammu/Kashmir. iv. Legal Expert, Jammu/Kashmir v. Deputy Director Information Jammu/Kashmir. vi. Three eminent social workers of whom not less than one from Women's organisation, Jammu/Kashmir
4	District Appropriate Authority	Chief Medical Officer
5	District Advisory Committee	i. Senior Gynaecologist and Obstetrician from District Hospital. ii. Senior Paediatrician from District Hospital iii. Medical Geneticist iv. Legal Expert v. District Information Officer vi. Three eminent social workers of whom not less than one from women's organisation, Jammu/Kashmir.

[F. No. W.12017/06/2012-PNDT]

Dr. PATIBANDLA ASHOK BABU Jt. Secy.